न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री गजेन्द्र सिंह आर.टी.एस.

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का मणकसास

बनाम

श्री रामोतार नरेन्द्र कुमार वगै0 जाति गुर्जर निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी

अंतर्गत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

दिनांक 04.05.2022

प्रकरण संख्या:– 16/2022

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी
हल्का मणकसास ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 में मौजा ग्राम मणकसास
पटवार हल्का मणकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.23 है0 किस्म बंजड 2, खसरा नं. 2068/338
रकबा 0.04 किस्म बंजड 2, खसरा नं. 1966/334 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड, खसरा नं. 2059/337
रकबा 0.04 किस्म बंजड 2, खसरा नं. 2066/337 रकबा 0.06 किस्म बंजड 2, खसरा नं. 1962/336 रकबा 0.
06 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड, खसरा नं. 337 रकबा 0.44 किस्म गै0 मु0 पहाड किता 7 का कुल रकबा 0.97 है0
में से 0.97 है0 सरकारी भूमि पर श्री रामोतार नरेन्द्र कुमार रामनिवास विक्रम पुत्र शिवदान सिंह जाति गुर्जर
निवासी मणकसास ने अनाधिकृत रुप से फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया
गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी पर कदीमी रूप से काबिज है
तथा प्रार्थी के पास रहने के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य भूमि नही है। इसके अलावा अप्रार्थी ने कोई ठोस
साक्ष्य सबूत आदि पेश नहीं किये है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थी का कदीमी कब्जा रहा है। प्रार्थी
ने उक्त भूमि का उसके हक में नियमन करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थीगण को
राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण
करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल
किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम मणकसास पटवार हल्का मणकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 339 रकबा 0.23 है0 किस्म
बंजड 2, खसरा नं. 2068/338 रकबा 0.04 किस्म बंजड 2, खसरा नं. 1966/334 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0
मु0 पहाड, खसरा नं. 2059/337 रकबा 0.04 किस्म बंजड 2, खसरा नं. 2066/337 रकबा 0.06 किस्म बंजड
2, खसरा नं. 1962/336 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड, खसरा नं. 337 रकबा 0.44 किस्म गै0 मु0
पहाड़ किता 7 का कुल रकबा 0.97 है0 में से 0.97 है0 सरकारी भूमि पर से श्री रामोतार नरेन्द्र कुमार
रामनिवास विक्रम पुत्र शिवदान सिंह जाति गुर्जर निवासी मणकसास को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है,
साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 2 रुपये का 50 गुणा यानि कुल
100/–रुपये (अक्षरे रु सौ मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार माल
कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को
आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज
दिनांक 04.05.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह)
तहसीलदार उदयपुरवाटी,